राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक [illegible]/1(67) आ.उ./पीएडी.अनु./नियुक्ति/आ.अन्वे./2019 दिनांक: 24-01-2020

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र कमांक प.14 (32) (3) RSMSSB/अर्थना/उ.वि/आ.अन्वे./पात्रता/2019/1469 दिनांक 10.12.2019 द्वारा राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत आर्थिक अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में आर्थिक अन्वेषक के पद के लिए पात्र पाये गये एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अभिशंषा/अभिस्तावना के आधार पर राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में आर्थिक अन्वेषक के रिक्त पदों के प्रति उपस्थिति देने की संगत तिथी से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथी पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथी से प्रभावी होगी :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	रोल नम्बर	मेरिट/श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री गजेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री रमेश चन्द्र, ग्राम–टूण्डपुरा, पोस्ट–जसपुरा, तहसील– बयाना, जिला–भरतपुर (राज) 321409	25.04.91	400668	1 (MBC)	जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर
2.	श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी, शिव मंदिर के पास, रेनवाल रोड, ग्राम पोस्ट– टांकरड़ा, तह.चौमू, जयपुर (राज.) 303702	10.12.91	401815	2 (OBC)	कार्या.आयुक्त,उद्योग विभाग, जयपुर
3.	श्री राज राजेश्वर गौड़ पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा, 26 बी, वासुदेव नगर, सत्संग भवन के पीछे, जिला दौसा(राज.)	20.12.94	402753	3 (GEN)	कार्या.आयुक्त,उद्योग विभाग, जयपुर
4.	श्री मयंक शर्मा पुत्र श्री भिक्की राम शर्मा, आदर्श नगर,सेक्टर नं.1, बयाना, भरतपुर (राज.) 321401	30.06.90	403277	4 (GEN)	कार्या.आयुक्त,उद्योग विभाग, जयपुर
5.	श्री कृष्ण कुमार माटोलिया पुत्र श्री नरेश कुमार शर्मा,वार्ड नं. 4, मौहल्ला उपरलाबास, ग्राम–सिरोही, तह. नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)	18.02.94	404172	5 (GEN)	जिला उद्योग केन्द्र, सीकर
6.	कु. प्रियंका मथुरिया पुत्री श्री मदन मोहन मथुरिया, प्लॉट नं.10, रामनगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सवाईमाधोपुर (राज.)	03.08.93	404348	6 (GEN)	जिला उद्योग केन्द्र, सवाईमाधोपुर
7.	श्री प्रिंस परमार पुत्र श्री अशोक परमार, कुम्हार वाडा, रेवानाथ जी अखाडे के पास, सिरोही (राज.) 307001	19.11.95	401200	7 (OBC)	जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

8.	कुमारी वन्दना पारीक पुत्री श्री पुरूषोत्तम पारीक,1/39,न्यू हाउसिंग बोर्ड, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)	10.11.95	403864	11 (GEN)	कार्या.आयुक्त,उद्योग विभाग, जयपुर
9.	श्री सुरेन्द्र कुमार दरिया पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद दरिया, 4/253–54, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.) 302039	26.01.88	401976	34 (SC)	कार्या.आयुक्त,उद्योग विभाग, जयपुर
10.	श्री मुकेश मेघवाल पुत्र श्री उदाराम, मु. पो. हेमलियावास खुर्द, वाया– मारवाड जंक्शन, जिला–पाली (राज.) 306001	20.04.86	404658	49 (SC)	जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर
11.	कुमारी वन्दना मीना पुत्री श्री सीताराम मीना, प्लॉट नं. 20, अरावली हिल्स, रेल्वे कॉलोनी के पास, जगतपुरा, जयपुर (राज.) 302017	23.11.91	402086	61 (ST)	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर शहर
12.	श्री दलीप पुत्र श्री पूनम चन्द, शिव कॉलोनी, वार्ड नं. 01, चूरू, (राज.) 331001	10.04.96	401919	216 (OBC, BLV)	जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर

नियुक्ति की शर्तें :–

1. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 में वर्णित अनुसूची–IV के अनुसार नियत पारिश्रमिक रू. 23700/– प्रतिमाह देय होगा। परिवीक्षा–प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर ही पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राज.राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. उक्त अभ्यार्थियों की जन्म तारीखें वे ही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
3. उक्त नियुक्तियां राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होंगी।
4. यह नियुक्ति अस्थाई है। सभी अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 के नियम 30 के अन्तर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल में रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है।
5. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के आर्थिक अन्वेषक होने की क्षमता नही है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
7. किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

8. राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग, राज.जयपुर के परिपत्र कमांक प.8(1) कार्मिक/2/2003 दिनांक 09.06.2003 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 02.08.2005 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र आदि संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल मानी जावेगी।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7 (3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.13 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जायेगी।
13. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 04 सप्ताह में कार्यग्रहण नहीं करते है और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रस्तुत करते है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
आयुक्त, उद्योग

कमांक: एफ(1)/1(67) आ.उ./पीएडी.अनु./नियुक्ति/आ.अन्वे./2019 दिनांक: 24-01-2020

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. संयुक्त ... शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग।
4. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (कार्यालयाध्यक्ष)
5. उप निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर) को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त फंक्शनल अधिकारी, मुख्यालय।
7. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ...को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करेंगे तथा दहेज न लेने का शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता एवं संतान संबंधी सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं कार्यग्रहण करने की सूचना मुख्यालय को आवश्यक रूप से लौटती डाक से भिजवायेंगे।
8. संबंधित अभ्यर्थी (रजिस्टर्ड डाक से)।
9. रक्षित पत्रावली।

2020
(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक,उद्योग
(प्रशासन)